

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

**RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1486**

**TO BE ANSWERED ON 20th DECEMBER, 2022 (TUESDAY)/ AGRAHAYANA 29, 1944 (SAKA)
PENSION FUND UNDER THE NEW PENSION SYSTEM (NPS)**

1486. Shri Deepender Singh Hooda:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) How much corpus fund has been generated and which agency has been entrusted with managing the funds under the New Pension System (NPS);
- (b) Whether it is a fact that the Pension Fund Managers are allowed to invest in Alternative Investment Funds (AIFs) which also includes Startups;
- (c) If so, the complete details including measures taken to safeguard the Pension Fund;
- (d) What is the annual earning to Government by way of managing this Fund; and
- (e) Whether the earnings are also shared with the State Governments?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)

(a) As on 30.11.2022, the total Asset Under Management (AUM) under National Pension System (NPS) including in respect of Atal Pension Yojana (APY) is Rs. 8,43,640.54 Crores. As on date, 10 Pension Funds are registered with Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for managing the funds under NPS. The names of the Pension Funds are as under:

1. SBI Pension Funds Private Limited
2. LIC Pension Fund Limited
3. UTI Retirement Solutions Limited
4. HDFC Pension Management Company Limited
5. ICICI Prudential Pension Fund Management Company Limited
6. Kotak Mahindra Pension Fund Limited
7. Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited
8. Tata Pension Management Limited
9. Max Life Pension Fund Management Limited
10. Axis Pension Fund Management Limited

(b) and (c) Investment guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for NPS Schemes (Other than Government Sector, Corporate CG, NPS Lite and APY) allow investment in Securities and Exchange Board of India (SEBI) regulated Alternative Investment Funds (AIFs) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. The permitted investments include Start-up Funds among other permitted alternative investments. As per the Investment Guidelines issued by PFRDA, the following measures are taken to safeguard the Pension Funds:

- i. The Pension Fund shall invest only in those AIFs whose corpus is equal to or more than Rs. 100 crores.
- ii. The exposure to single AIF shall not exceed 10% of the AIF size.
- iii. Pension Funds to ensure that funds should not be invested in securities of the companies or funds incorporated and operated outside India in violation of Section 25 of the PFRDA Act, 2013.

- iv. The sponsors of the AIFs should not be the promoter in Pension Fund or the promoter group of the Pension Fund.
- v. The AIFs shall not be managed by Investment manager, who is directly or indirectly controlled or managed by Pension Fund or the promoter group of the Pension Fund.

(d) and (e) Earnings from the fund managed under NPS, after deducting applicable charges, are accumulated in the NPS accounts of subscribers. Since inception, the weighted average returns under the default scheme of NPS for Central Government and State Government subscribers, are as under:

Schemes	Weighted Average Returns since inception (%) as on 09.12.2022
Central Government (CG)	9.48 %
State Government (SG)	9.33 %

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1486

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2022/29 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन निधि

1486. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कितनी मूल निधि सृजित की गई है और किस एजेंसी को निधि के प्रबंधन का काम सौंपा गया है;
- (ख) क्या यह सच है कि पेंशन निधि प्रबंधकों को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश करने की अनुमति है जिसमें स्टार्टअप्स भी शामिल हैं;
- (ग) यदि हां, तो पेंशन निधि की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों सहित पूरा ब्यौरा क्या है;
- (घ) इस निधि के प्रबंधन से सरकार की वार्षिक आय कितनी है; और
- (ड.) क्या इस आय को राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सहित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) 8,43,640.54 करोड़ रुपये है। आज की तारीख में, एनपीएस के तहत निधियों के प्रबंधन के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में 10 पेंशन निधि पंजीकृत हैं। पेंशन निधियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड
2. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
3. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन्स लिमिटेड
4. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
5. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
6. कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
7. आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
8. टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
9. मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
10. एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

(ख) और (ग): एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र, कारपोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अलावा) के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी किए गए निवेश दिशानिर्देश में सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत यथा परिभाषित भारतीय प्रतिभूति और विनियमित बोर्ड (सेबी) विनियमित वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश की अनुमति दी गई है। अनुमत निवेश में अन्य अनुमत वैकल्पिक निवेशों के साथ-साथ स्टार्ट-अप निधियां शामिल हैं। पीएफआरडीए द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशन निधियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

- I. पेंशन निधि केवल उन्हीं एआईएफ में निवेश करेगा जिनका कॉर्पस 100 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक हो।
- II. किसी एआईएफ में एआईएफ के आकार के 10% से अधिक एक्सपोजर नहीं होगा।
- III. पेंशन निधि यह सुनिश्चित करें कि पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 25 का उल्लंघन करके निधि को कंपनियों की प्रतिभूतियों या भारत के बाहर निगमित और संचालित निधि में निवेश न किया जाए।

- IV. एआईएफ का प्रायोजक पेंशन निधि में प्रवर्तक या पेंशन निधि का प्रवर्तक समूह नहीं होना चाहिए।
- V. एआईएफ का प्रबंधन निवेश प्रबंधक द्वारा नहीं किया जाएगा, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेंशन निधि या पेंशन निधि के प्रवर्तक समूह द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किया जाता है।

(घ) और (ड.): प्रयोज्य प्रभागों की कटौती के पश्चात एनपीएस के तहत प्रबंधित निधि से आय, ग्राहकों के एनपीएस खातों में जमा हो जाती है। योजना को आरंभ किए जाने के बाद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अभिदाताओं के लिए एनपीएस की डिफॉल्ट योजना के तहत भारित औसत प्रतिलाभ निम्नानुसार हैं:

योजना	आरंभ से लेकर दिनांक 9.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार (%) भारित औसत प्रतिलाभ
केंद्र सरकार (सीजी)	9.48 %
राज्य सरकार (एसजी)	9.33 %
